न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:– 318/2021

गणेशाराम पुत्र श्री कुरड़ाराम उम्र 76 वर्ष जाति बावरी निवासी गोलूवाला निवादान, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

—— प्रार्थी

–:बनाम:–

1. लालचंद पुत्र जीवनराम जाति जाट निवासी गोलूवाला निवादान, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।
2. ओ०बी०सी० बैंक (वर्तमान पी.एन.बी बैंक) शाखा गोलूवाला जरिये शाखा प्रंबधक
3. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राम नाथ भाटी – प्रार्थी
2. श्री जसपाल सिंह दहिया – अप्रार्थी संख्या 1
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा – अप्रार्थी संख्या 3

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–16/08/2024

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री राम नाथ भाटी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी के पत्र व्यवहार के प्रमाणिक एवं पंजीबद्ध पते वही है जो शीर्षक प्रार्थना पत्र में निवेदित किया गया है। प्रार्थी के नाम चक 25 जेआरके पटवार हल्का कान्हेवाला तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 19/12, के पत्थर नम्बर 17/250 (24) का कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 व पत्थर नम्बर 17/251(33) कि.न. 1 ता 5 कुल तादादी 10 बीघा अर्थात 2. 530 हैक्टेयर कृषि मय रास्ता खाला राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

अप्रार्थी के नाम चक 25 जेआरके पटवार हल्का कान्हेवाला तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 101/87 के पत्थर नम्बर 17/251(33) कि.न. 6 ता 25 व पत्थर नम्बर 18/252 (34) कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 कुल तादादी 25 बीघा अर्थात् 6.325 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है।

प्रार्थी की उपरोक्त कृषि भूमि पत्थर नम्बर 17 /251 (33) कि.न. 1 ता 5 के उत्तर की तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ सिचाई हेतू एक खाला चल रहा है जिसके कि.न. 5 मे अप्रार्थी ने अपने नाम उपरोक्त सिचाई करने हेतू सिचाई विभाग से नाका स्वीकृत करवा रखा है तथा प्रार्थी की कृषि भूमि कि.न. 5 मे उत्तर से दक्षिण की तरफ खाला बनाकर 0.025 हैक्टेयर मे से अपनी कृषि भूमि की सिचाई करने उपयोग करता है के बदले अप्रार्थी ने अपने नाम उपरोक्त कृषि भूमि में कि.न. 6, 15, 16, 25 की पूर्वी [illegible] पर दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रार्थी को अपनी मे आने जाने हेतू एक गट्टा (सवा आठ फुट) रास्ता दिया हुआ है जो कि राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत नही हुआ है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी एक दूसरे के समीपस्थ काश्तकार है जो अपनी सुविधा के अनुसार अपनी भूमि मे आने जाने के लिये व सिंचाई करने के लिये रास्ता व खाला सहमति से चालू किया हुआ था। उपरोक्त रास्ता का उपयोग प्रार्थी अपनी कृषि भूमि मे आने जाने हेतू पिछले करीब 25 वर्षो से लगातार करता आ रहा है।

प्रार्थी और अप्रार्थी के मध्य यह सहमति पिछले 25 वर्षो से चली आ रही थी कि प्रार्थी अप्रार्थी को उसके नाम कृषि भूमि मे सिचाई सुविधा का उपयोग करने हेतू बंचित नही करेगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:28:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तथा बदले मे अप्रार्थी भी प्रार्थी को उसकी कृषि भूमि मे आने जाने हेतू दिये गये रास्ता का उपयोग करने से अवरूद्ध नही करेगा ।

आज से कुछ दिन पूर्व अप्रार्थी ने अपनी उपरोक्त कृषि भूमि पत्थर नम्बर 17/251 (33) मे कि.न. 6, 15, 16, 25 की पूर्वी सीमा पर दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रार्थी को अपनी भूमि मे आने जाने हेतू एक गटठा सवा आठ फुट चौड़ा रास्ता दिया हुआ था को यह कहते हुये अवरूद्ध कर दिया है कि यह रास्ता राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत नही है जिसके कारण प्रार्थी अपने खेत मे आने जाने महरूम हो गया। प्रार्थी के पास अपने खेत मे आवागमन हेतू इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। पूर्व मे प्रार्थी ने कई बार अप्रार्थी को समझाया था कि वह अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को आवागमन हेतू दिये गये रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत करवा देवे जिसके बदले प्रार्थी ने अपनी कृषि भूमि के कि.न. 5 मे अप्रार्थी को सिंचाई करने हेतू खाला स्वीकृत कराने को तैयार है लेकिन अप्रार्थी पहले तो आजकल आजकल कहता रहा लेकिन आज से दो दिन पूर्व अप्रार्थी ने प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे सहमति से दिये गये रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत करवाने से स्पष्ट इंकार कर दिया है।

प्रार्थी को अपने खेतो मे आवागमन करने, कृषि यंत्र लाने ले जाने एवं फसल काश्त करने हेतू उक्त रास्ते की हमेशा आवश्यकता रहती है लेकिन अप्रार्थी ने जानबूझ कर प्रार्थी को नुकसान पहुचाने एव क्षतिकारित करने के आशय से पिछले 25 सालों से चले आ रहे आवागमन हेतू रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है।जिसके कारण प्रार्थी को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी की सिंचाई सुविधा हेतू अपनी उपरोक्त कृषि भूमि मे कि.न. 5 मे खाला की कृषि भूमि देने के बदले नियमानुसार प्रार्थी को अपने खेतो मे आवागमन करने हेतू अप्रार्थी की कृषि भूमि मे से पिछले 25 वर्षो से चल रहे रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत करवाने का अधिकारी है

अप्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड की उपरोक्त कृषि भूमि मे ओबीसी बैंक वर्तमान पीएनबी बैक से रहन है इसलिये पक्षकार बनाया गया है। तहसीलदार राजस्व लैण्ड हॉल्डर है इसलिये उसे भी पक्षकार बनाया गया है । प्रार्थना पत्र मे अंकित कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा मे स्थित है इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की उपरोक्त कृषि भूमि चक 25 जेआरके पटवार हल्का कान्हेवाला तहसील पीलीबंगा के खाता संख्या 19/12, के पत्थर नम्बर 17/251(33) कि.न. 1 ता 5 मे आवागमन करने हेतू अप्रार्थी की उपरोक्त कृषि भूमि पत्थर नम्बर 17/251(33) मे कि.न. 6, 15, 16, 25 की पूर्वी सीमा पर दक्षिण से उत्तर की तरफ एक गटठा (सवा आठ फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड मे स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जावें ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सरिस्ता रिपोर्ट बाद दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया शामिल पत्रावली है जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 संक्षिप्त रूप से निम्नानुसार है कि प्रार्थना–पत्र की दफा 1. पता से सम्बन्धित है। यह कि प्रार्थना–पत्र की दफा 2 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है जबकी प्रार्थी ने अपनी उक्त चक 25 JRK के प.न. 17/250 के किला न. 1/2 में 0.038 गै. मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड होने के तथ्य को छुपाकर प्रार्थना–पत्र [illegible] किया है जो कि उक्त प.न. 17/250 के कि.नं. 1 ता 5 की उत्तर दिशा को [illegible] पश्चिम लम्बी सरकारी एवं चालू रास्ता है यह कि प्रार्थना–पत्र की दफा 3 मुताबिक रिकार्ड स्वीकार है। प्रार्थना–पत्र की दफा 4 निराधार तथ्यों के वर्णित होने से अस्वीकार है। क्योंकि चक 25 JRK की प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की दफा 2 में वर्णित, प्रार्थी की कृषि भूमि प.न. 17/250 के कि.न. 1,10, 11, 20,21 एवं प.न. 17/251 के कि.न. 1 ता 5 की कृषि भूमि के 2.530 है. कृषि भूमि एकल खाते की कृषि भूमि है। जिसके किला न. 1 में .038 है गै.मू. रास्ता दर्ज रिकार्ड है। जिससे होकर प्रार्थी इसी प.न. 17/350 के चिपते प.न. 17/351 के किला न 1 ता 5 की कृषि भूमि में प्रवेश व आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:28:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

करता है व प्रार्थी ने शेष तथ्य निराधार वर्णित किये है। क्योंकि मुझ अपार्थी ने प्रार्थी के साथ कोई सहमति नहीं की है। जिसमे प्रार्थी को मेरी कृषि भूमि मे से कोई रास्ता के उपयोग हेतु कृषि भूमि देकर सिचाई हेतु वाला किया हो एवं मुझ आर्थी की कृषि भूमि में मौका पर कोई रास्ता चालू नही है एंव न ही कभी चालू रहा है। प्रार्थी ने दाफा 4 मे झुठे कथन किये है प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना–पत्र की दफा 5. अस्वीकार है क्योकि मुझ अफर्थी के द्वारा कोई सहमति नही दी गई है। प्रार्थी को आवागमन हेतु पहले से ही रास्ता मौजूद है। प्रार्थना–पत्र की दफा 6. अस्वीकार क्योंकि मुझ आर्थी की कृषि भूमि चक 25 जेआरके प.न 17/351 कि.न. 6.15,16,25 मे उत्तर–दक्षिण लम्बा कोई रास्ता प्रार्थी को नहीं दिया है। और न ही प्रार्थी ऐसा रास्ता स्वीकार करने के अधिकारी है। प्रार्थना–पत्र की दफा 7 अस्वीकार है। क्योंकि मुझ, अद्यार्थी की कृषि भूमि में कोई के चालू या स्वीकृत रास्ता नहीं है। यह कि प्रार्थना–पत्र की दफा 8 सिद्ध भार प्रार्थी है। प्रार्थना–पत्र की दफा 9 सिद्ध भार प्रार्थी प्रार्थना–पत्र की दफा 10 सिद्ध भार प्रार्थी है. क्योंकि प्रार्थी की उक्त प्रार्थना की रुफा में वर्णित कृषिभूमि पहले से ही स्वीकृत सुद्धा रास्ता मौका पर चालू है। जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र की दफा 2. मे वर्णित कृषि भूमि चक 25 जेआरके के प. न. 17/251(24) किला न. 1,10,11,20, 21 व प.न. 17/251 (33) 1 ता 5 की 2.530 है. कृषि भूमि एकल स्वामित्व की, एकल खाते के कृषि भूमि है। जिसमें दोनो पत्थरों यानि प.न.–17/250 व 17/251 की कृषि भूमि एक दूसरे से चिपते हुये है। जिसके प.न. 17/250 के कि.नं. 1/2 में 0.038 है. गैर मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड है। जो कि एक लम्बा व चालू सरकारी रास्ता है जो प.न. 17/250 के किला न. 1 ता 5 में से होकर गुजरता है। जिससे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आना–जाना करता है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारीज फरमाया जाये।

प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा के पत्रांक रीडर/2024/252 दिनांक 14.05.2024 से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चक 25 जेआरके के प.न. 17/251 मु.न. 24 किला न 1 पक्की सड़क गोलूवाला से हरदयालपुरा लिंग रोड पर स्थित है। अन्य भूमि प.न. 17/250 मु.न. 24 किला न 10,11,20,21 व प.न. 17/251 मु.न. 33 किला न 1 ता 5 आपस में चिपती हुई है ऐसे में अन्य कोई रास्ता की आवश्यकता नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत करने की अभिशंषा नहीं की जाती है।

–:आदेश:–

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्यों, दस्तावेजो का अवलोकन व अध्ययन किया गया। तहसीलदार पीलीबंगा की रिपोर्ट व प्रस्तुत नक्शा एव मौका निरिक्षण के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा सुगम व सुविधाजनक रास्ता लगता है। प्रकरण अत्यांतिक रास्ता का नहीं होने पर अस्वीकार योग्य है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः लघुत्तम विकल्प की उपलब्धता, आंत्यातिक आवश्यकता के अभाव में केवल सुविधाजनक रास्ता हेतु प्रस्तुत किये जाने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251–क आरटीए के प्रावधानों के अनुरूप साबित नहीं होने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील [illegible]खिल हो। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 15/08/2[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.08.20 10:28:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा